रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, वृहस्पतिवार, 4 सितम्बर, 1975

भाद्रपद 13, 1897 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 3228/सत्रह-वि-1-115-1975

लखनऊ, 4 सितम्बर, 1975

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1975 पर दिनांक 30 अगस्त, 1975 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1975

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40, 1975)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

अभावग्रस्त शक्कर फैक्टरियों को गन्ने के मूल्य का भुगतान करने के लिए ऋण सहायता देने के लिए एक विशेष निधि के सृजन का उपबन्ध करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

उ० प्र० अधिनियम संख्या 9, 1961 की धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में—

(क) उपधारा (1) में, खंड (क) में, शब्द "एक रुपया" के स्थान पर शब्द "एक रुपया पच्चीस पैसे" रख दिये जायं।

(ख) उपधारा (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(10) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में विधि द्वारा यथाविधि विनियोग करने के पश्चात् राज्य सरकार उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उद्गृहीत

कर के आगम के बराबर धनराशि राज्य की संचित निधि से और के बाहर इस सीमा तक निकालेगी कि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा वसूल की गई कर की दर साठ पैसे प्रति क्विंटल गन्ने से अधिक हो और उसको निम्नांकित नाम की तीन पृथक निधियों में निम्नलिखित अनुपात में जमा करेगी, अर्थात्:—

(क) निकाली गई धनराशि का एक-तिहाई भाग, उस सीमा तक जहां तक कि कर की दर प्रति क्विंटल गन्ने पर एक रुपये से अधिक न हो, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान एवं विकास निधि के खाते में ;

(ख) निकाली गई धनराशि का दो-तिहाई भाग, उस सीमा तक जहां तक कि कर की दर प्रति क्विंटल गन्ने पर एक रुपये से अधिक न हो, उत्तर प्रदेश शक्कर फैक्टरियां पुनःस्थापन, आधुनिकीकरण तथा स्थापना निधि के खाते में ;

(ग) शेष धनराशि, अर्थात्, उस सीमा तक सम्पूर्ण धनराशि जहां तक कर की दर प्रति क्विंटल गन्ने पर एक रुपये से अधिक हो, उत्तर प्रदेश गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए ऋण सहायता निधि के खाते में:

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए ऋण सहायता निधि में अन्तरित की जाने वाली कुल धनराशि पंद्रह करोड़ रुपये से अधिक न होगी और इसके बजाय उससे अधिक कर से उपलब्ध कोई धनराशि, इस सीमा तक कि वह एक रुपया प्रति क्विंटल की उक्त दर से अधिक हो, खंड (क) और (ख) में उल्लिखित निधियों में इन खंडों में उल्लिखित अनुपात में क्रमशः अन्तरित कर दी जायगी।"

(ग) उपधारा (11) में, शब्द "दोनों पृथक निधियों" के स्थान पर शब्द "तीनों निधियों" रख दिये जायं।

(घ) उपधारा (12) में शब्द "उक्त दोनों निधियों" के स्थान पर शब्द "उक्त तीनों निधियों" रख दिये जायें।

No. 3228 (2) /XVII-V-1—115-1975

Dated Lucknow, September 4, 1975

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Ganna (Kraya-Kar) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1975 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 40 of 1975), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 30, 1975.

THE UTTAR PRADESH SUGARCANE (PURCHASE TAX) (AMENDMENT) ACT, 1975

(U. P. Act no. 40 of 1975)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) Act, 1961, with a view to providing for the creation of a special fund for granting loan assistance to needy sugar factories for the payment of sugarcane price.

It is hereby enacted in the Twenty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradseh Sugarcane (Purchase Tax) (Amendment) Act, 1975.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official *Gazette*, specify.

Amendment of section 3 of U. P. Act no. IX of 1961.

2. In section 3 of the U. P. Sugarcane (Purchase Tax) Act, 1961, hereinafter referred to as the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), in clause (*a*) for the words "one rupee", the words "one rupee and twenty-five paise" shall be *substituted* ;

(*b*) *for* sub-section (10), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(10) At the beginning of each financial year, after due appropriation has been made by law, the State Government shall withdraw from and out of the Consolidated Fund of the State an amount equivalent to the proceeds of the tax levied under clause (*a*) of sub-section (1), to the extent that the rate of tax exceeds sixty paise per quintal of sugarcane, recovered by it during the preceding financial year, and place it to the credit of the three separate funds named below in the following proportions, namely :—

(*a*) one-third share of the amount withdrawn to the extent the rate of tax does not exceed one rupee per quintal of sugarcane ; to the credit of the Uttar Pradesh Sugarcane Research and Development Fund ; and

(*b*) two-third share of the amount withdrawn to the extent the rate of tax does not exceed one rupee per quintal of Sugarcane ; to the credit of the Uttar Pradesh Sugar Factories Rehabilitation, Modernisation and Establishment Fund ;

(*c*) the balance, that is to say, the entire amount to the extent that the rate of tax exceeds one rupee per quintal of sugarcane ; to the credit of the Uttar Pradesh Loan Assistance for payment of Sugarcane Price Fund :

Provided that the aggregate amount to be transferred to the Uttar Pradesh Loan Assistance for payment of Sugarcane Price Fund shall not exceed Rs.15 crores and any amount beyond that available out of the tax to the extent it exceeds the said rate of one rupee per quintal shall be transferred instead to the funds mentioned in clauses (*a*) and (*b*) in the respective proportions mentioned in those clauses.

(*c*) in sub-section (11), *for* the words 'the two separate funds', the words 'the three separate funds' shall be *substituted* ;

(*d*) in sub-section (12), *for* the words, "the said two separate funds", the words, "he said three funds" shall be *substituted*.

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव।

पी०एस० यू० पी०—ए० पी० 441 राजपत्र (हि०)—1964—1975—1.463 (मे०)।